

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 998 / 2012 / जयपुर.

मैसर्स ब्रुशमैन (इण्डिया) लिमिटेड,
बी-95/3, फेज-I, नारायण इण्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली.अपीलार्थी.
बनाम

1. उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर कोटा.
2. सहा. वाणि. कर अधिकारी, वार्ड-प्रथम, वृत-एम, जयपुरप्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित :

श्री संजय पोद्धार, अभिभाषकअपीलार्थी की ओर से.
 श्री एन. के. बैद,
 उप-राजकीय अभिभाषकप्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 31/3/2014

निर्णय

अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (प्रशासन), प्रथम, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे 'प्रशासनिक अधिकारी' कहा जायेगा) के अपीलार्थी के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 34 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्र संख्या प.2() उपा-1/कर/ धारा 34/2011 को अपारस्त किये जाने सम्बन्धी पारित किये गये आदेश दिनांक 28.3.2012 के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, वृत-एम, जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी के वर्ष 2008-09 का नियमित कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु जारी किये गये सम्मनों की पालना में अपीलार्थी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने एवं वांछित रेकॉर्ड यथा घोषणा-पत्र एस.टी.18ए, वैट-47, वैट-49 व प्रपत्र 'एफ' प्रस्तुत नहीं करने पर प्रकरण में अपीलार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए वेट अधिनियम की धारा 24(4) के तहत सर्वोत्तम विवेक से कर निर्धारण आदेश दिनांक 3.3.2011 को पारित करते हुए कर, शास्ति व ब्याज के रूप में रूपये 2,73,807/- की मांग सृजित की गयी। अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश को खोलकर पुनः कर निर्धारण की स्वीकृति हेतु प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष वेट अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र प्रशासनिक अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.3.2012 से निरस्त किया गया। उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर अपीलार्थी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है।

लगातार.....2

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी का कथन है कि आलौच्य अवधि के कर निर्धारण हेतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई सम्मन अपीलार्थी पर तामील नहीं कराया गया एवं नोटिस तामील करवाये बिना ही आलौच्य अवधि की बिक्री अनुमानित की जाकर कर, ब्याज व शास्ति आरोपण हेतु पारित किया गया एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पूर्णतः अविधिक एवं अनुचित है। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को आलौच्य अवधि के कर निर्धारण हेतु जारी किये गये नोटिस की पर्याप्त तामील एवं कर निर्धारण अधिकारी के एकपक्षीय पारित कर निर्धारण आदेश को विधिसम्मत मानते हुए अपीलार्थी के धारा 34 के तहत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने में विधिक भूल की गई है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने प्रशासनिक अधिकारी के आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

बहस के दौरान विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक का कथन है कि अपीलार्थी को सुनवाई एवं वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु अनेक अवसर प्रदान किये गये, किन्तु अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री संजय पौद्वार द्वारा प्रत्येक पेशी पर अगली तारीख पेशी चाही जाती रही एवं अगली पेशी पर या तो वे उपस्थित नहीं हुए और यदि उपस्थित हुए तो आगामी तारीख पेशी हेतु निवेदन किया जाता रहा। अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सुनवाई तिथि 3.3.2011 हेतु जारी किया गया नोटिस अपीलार्थी द्वारा लेने से भी इंकार कर दिया गया, इस पर जे.सी.टी.ओ. स्तर के अधिकारी के द्वारा नोटिस चस्पांदगी की कार्यवाही की गई। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में पूर्णतया असहयोगात्मक रवैया अपनाया गया एवं कर निर्धारण आदेश को विलम्बित किये जाने की कार्यवाही की गई।


विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी ने ऐसा कोई साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया कि वे कर निर्धारण की प्रक्रिया के दौरान क्यों नहीं उपस्थित हुए अथवा वांछित दस्तावेज क्यों नहीं प्रस्तुत किये जा सके। इसके अलावा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ना तो प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं एवं ना ही कर बोर्ड के स्तर पर प्रस्तुत किये गये हैं। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण में कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने की समयावधि निकलने की सम्भावना के मद्देनजर अपीलार्थी के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए धारा

लगातार.....3

24(4) के तहत सर्वोत्तम विवेक से कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि की नहीं की गयी है। इसी प्रकार प्रशासनिक अधिकारी ने भी अपीलार्थी का धारा 34 का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि सुनवाई दिनांक 27.8.2010 को अपीलार्थी फर्म के Asstt. Vice President Sales श्री अवधेश कपूर ने उपस्थित होकर दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समय चाहा गया एवं आगामी तारीख पेशी प्राप्त की गई। आगामी तारीख पेशी दिनांक 20.12.2010 को अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजय पौद्वार उपस्थित हुए, किन्तु वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये एवं आगामी तारीख पेशी प्राप्त की गई। आगामी तारीख पेशी 4.1.2011 को अपीलार्थी की ओर से ना तो कोई उपस्थित हुआ एवं ना ही रेकॉर्ड प्रस्तुत किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी फर्म के दिल्ली स्थित कार्यालय को नोटिस जारी किया गया, जिसकी रसीद पत्रावली में संलग्न है। आगामी तारीख पेशी 10.2.2011 को अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजय पौद्वार ने स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, किन्तु वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये, बल्कि आगामी तारीख पेशी चाही गई। आगामी तारीख पेशी 15.2.2011 को अपीलार्थी की ओर से श्री पौद्वार उपस्थित हुए, किन्तु रेकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया। इस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्तिम तारीख पेशी नियत की गई एवं वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में सर्वोत्तम विवेक से कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने के आदेश किये गये। आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.2.2011 को श्री पौद्वार उपस्थित हुए, किन्तु वांछित रेकॉर्ड पेश नहीं किया। दिनांक 29.2.2011 को जारी नोटिस अपीलार्थी द्वारा लेने से इंकार किये जाने पर, कर निर्धारण अधिकारी ने आगामी तारीख पेशी दिनांक 3.3.2011 तक रेकॉर्ड प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एकतरफा निर्णय पारित किये जाने के आदेश किये गये। इस पर जरिये चर्स्पांडगी नोटिस तामीली की कार्यवाही की गई, किन्तु नियत तारीख पेशी दिनांक 3.3.2011 तक अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से ना तो कोई उपस्थित हुआ एवं ना ही वांछित रेकॉर्ड प्रस्तुत किया गया।



लगातार.....4



उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को रेकॉर्ड/वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है, किन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रकरण में पूर्ण रूप से असहयोगात्मक रवैया अपनाया गया एवं कर निर्धारण की कार्यवाही को बढ़ाते रहने का हरसम्भव प्रयास किया गया है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण में एकतरफा कार्यवाही करते हुए धारा 24(4) के तहत सर्वोत्तम विवेक से कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि की जाना प्रतीत नहीं होता है। वेट अधिनियम की धारा 34 अनुसार किसी भी एकतरफा कर निर्धारण आदेश को खोले जाने की शर्त है कि या तो व्यवहारी पर नोटिस तामील नहीं हुआ हो या नोटिस तामील होने पर अनुपस्थिति का कोई युक्तियुक्त कारण हो। दोनों ही परिस्थितियों के अभाव में वेट अधिनियम की धारा 34 के तहत प्रशासनिक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र खारिज योग्य रहता है। इसलिए प्रशासनिक अधिकारी ने भी, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए, अपीलार्थी का धारा 34 का प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किये जाने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(जे. आर. लोहिया)

सदस्य
31/8/14